

कार्यालय कलेक्टर, जिला-बैतूल मध्यप्रदेश

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जिला बैतूल के बैतूल उत्तर वनमंडल के अंतर्गत निम्न विवरण

अनुसार :-

A. वन क्षेत्र का विवरण :-

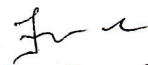
खान का नाम निरस्तारित क्षेत्र तथा-2	अधिसूचना विवरण एवं क्रमांक	निजी भूमि		शासकीय भूमि		बड़े झाड़ का जंगल		म.प्र.वि.मं.		आरक्षित वन		योग
		खसरा	रकबा	खसरा	रकबा	खसरा	रकबा	खसरा	रकबा	खसरा	रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	तवा एक्सटेंशन एस.ओ. 1355 दिनांक 1355 दिनांक 24.06.98									327 328 329	11.810 0.000 18.799	11.810 0.000 18.799
	पी.के.डी. -3 एस. ओ.नं. 2617 दि. 21.08.78									327 328 329	54.663 94.722 21.085	54.663 94.722 21.085
	योग										201.079	201.079

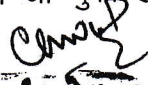
उपरोक्त वनक्षेत्र 201.079 वनभूमि जो सी.बी.ए. 1957 के तहत वे.को.लि.द्वारा अधिग्रहित हैं परन्तु उसी वनभूमि को वनसंरक्षण अधिनियम की धारा-2 के तहत पुनः उक्त अधिनियम के तहत खनन अधिकार में लिया जाना है । जिसका आवश्यक कार्यवाही शुल्क की अदायगी, संयुक्त स्थल निरीक्षण वन विभाग के अधिकारी एवं तवा खान-2 के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा चुका है । इस परियोजना के लिए कुल रकबा 201.079 तवा खान-2 के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित कुल रकबा 201.079 हेक्टेयर वनभूमि पर उसके चारों ओर निवासरत् किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई दावे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2008 के अंतर्गत लंबित अथवा अनिर्णित नहीं हैं ।

1- प्रमाणित किया जाता है, कि जिला बैतूल का ग्राम हीरापल्ला के आरक्षित वनक्षेत्र के वनखण्ड के कक्ष क्रमांक-327, 328, 329 रकबा 66.473, 94.722, 39.884 हेक्टेयर जो तवा खान-2 परियोजना के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित हैं, में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के अंतर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है ।

2- अभिलेखों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है, कि वनभूमि व्यपवर्तन का उपरोक्त प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के पात्र वन निवास की ग्रामसभा के समक्ष रखा जा चुका है । प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तथा उसके प्रभावों की व्याख्या उन्हें स्थानीय भाषा में की जा चुकी है साथ ही जिला के अंतर्गत आवेदित वनक्षेत्र 201.079 हेक्टेयर में किसी रहवास या राजस्व ग्राम की सीमा नहीं है ।

- (39)
- 3- प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा एवं निर्णय केवल तभी लिया गया जब ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों की न्यूनतम 50 प्रतिशत कोरम पूर्ण था । (यदि कण्डिका-2 के प्रकाश में लागू हो)
 - 4- यह प्रमाणित किया जाता है, कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 की धारा-3(1) [ई] के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है ।
 - 5- यह प्रमाणित किया जाता है, कि शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही (यदि कोई हो) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 की धारा-3(2) की आवश्यकता पूरी की जा चुकी है, तथा प्रभावित ग्रामसभाओं की इसमें सहमति है ।


अनुविभागीय अधिकारी,
(राजस्व) शाहपुर.


बी चंद्रशेखर
कलेक्टर
कलेक्टर बैतूल
अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति.

कार्यालय
ग्राम सभा श्रीगईखापा जनपद पंचायत
जिला बैतूल मध्यप्रदेश

-: ग्राम सभा का सहमति पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि -

1. वेस्टर्न कोल्डफिल्ड लिमिटेड, पाथाखेडा क्षेत्र की तवा खान क्रमांक 2 में 201.079 हे. का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम हीरापल्ला के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड 15 बाकुड के कक्ष क्रमांक 327, 328, 329 में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 26.10.11 को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विचार को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एवद द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न :- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।

दिनांक 26/10/11


ग्राम पंचायत भांगईखापा
प्रधान/सचिव पंचायत भांगईखापा
हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

(68) 35 (62)

स्वीकृत प्रस्ताव

स्वीकृत प्रस्ताव क्र. तथा दिनांक	विवरण	तामील क्या हुई
3	4	5
3	ग्राम सभा) यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारी की भावना के अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण तौर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विचार की समझा लिया है।	
4	वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के मिठाई की संभावना है अतः ग्राम सभा पदद द्वारा उक्त कार्य पर अपनी समिति सहमति व्यक्त करती है।	

प्रस्ताव

उहराव

1

2

गया है तथा ग्राम
उस्ताव के विचार

सभा ने अपवर्तन के
की समझा लिया है।

(क) वन भूमि अपवर्तन के फलस्वरूप संपादित
किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र
के विकास की संभावना है। अतः ग्राम
सभा एड्ड द्वारा उक्त कार्य पर
संपना अभिमत / सहमति व्यक्त करती है

तथा खोल छू-02
की सहमति (A.O.C.) वहां
विचारा निम्नानुसार है

(1) वेस्टर्न क्लिफ्ट लिमिटेड, पाश्चात्य क्षेत्र
की वहां खान सेना 2 मे 201.079 है का
कार्य किया जाना उस्तावित है मेरे पंचायत
क्षेत्र के ग्राम होरापल्ल के मरुति /
संरक्षित वन क्षेत्र के वन 2005 15 वाबुड
के क्षेत्र 327, 328, 329 में है
उक्त वन भूमि के अपवर्तन का प्रस्ताव
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत
ग्राम के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ

(2) वन भूमि अपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी
(वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम
2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की
ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। उस्ताव
का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा
की बैठक दिनांक 26/11/11 को की गई, जिसमें
ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित

63
क

स्वीकृत प्रस्तावों की तामील का रजिस्टर

स्वीकृत प्रस्ताव क्रं. तथा दिनांक	विवरण	तामील क्या हुई
3	4	5
1) बिसनलाल		बिसनलाल
2) बाबुल		बाबुल
3) मन्नाबाई कुर्वे		मन्नाबाई कुर्वे
4) रमण		
5) सुन्दर		सुन्दर
6) सुनील		सुनील
7) सुभाष		सुभाष
8) संतोष		संतोष
9) सुनी		सुनी
10) कमल		कमल
11) रामविनायक		रामविनायक
12) सुभरलाल		सुभरलाल
13) सुवलाल		सुवलाल
14) अन		अन
15) रामदयाल		रामदयाल
16) रामजी		रामजी
पौष पञ्चम नगदे	शाण्ड्याशा मोरई रवापा	पौष पञ्चम
शरदा	पञ्चम नगदे नमो नमो ११-१	शरदा
प्रेमलता मर्चिजे		प्रेमलता
प्रेमलता सरिभाम		प्रेमलता
मन्नाबाई कुर्वे		मन्नाबाई कुर्वे
मेरसिग		मेरसिग
सुगर्ती बाई		सुगर्ती

५५
५५
५५

स्वीकृत प्रस्तावों की तामील का रजिस्टर

292

स्वीकृत प्रस्ताव क्रं. तथा दिनांक	विवरण	तामील क्या हुई
3	4	5
1) बिसनलाल		बिसनलाल
2) बाबुल		बाबुल
3) मन्मोहन सिंह		मन्मोहन सिंह
4) सरपंच		
5) सुन्दर		सुन्दर
6) सुनील		सुनील
7) सुभाष		सुभाष
8) सतोष		सतोष
9) सुनी		सुनी
10) कमल		कमल
11) रामबिलास		रामबिलास
12) सुभरलाल		सुभरलाल
13) कुबेरलाल		कुबेरलाल
14) अन		अन
15) रामदयाल		रामदयाल
16) रामजी		रामजी
पीठ एस नगरे	शा.प्रा.शा. मो. 24 रवापा	रवापा
सरला	पञ्चाङ्ग हलाक न 00099-1	सरला
प्रेमलता मर्चण्डे		प्रेमलता
प्रेमलता सरिमा		प्रेमलता
मन्मोहन सिंह		मन्मोहन सिंह
मेरसिंग		मेरसिंग
सुगरती बाई		सुगरती

64

स्वीकृत प्रस्तावों की तामील का रजिस्टर

वीकृत प्रस्ताव क्र. तथा दिनांक	विवरण	तामील क्या हुई
3	4	5
मुद्रांकन मासिक (ता. २०/१२/२०२३) शिक्षक		फरवरी
मानसिक स्वास्थ्य		मानसिक
इयामलू पदार्थ (उपकरण)		इयामलू
दलदलिंग प्रिन्सिपल		दलदलिंग
सुखानाथ देवद		सुखानाथ
रजनीशानाथानाथ		रजनीश
किशोरी		किशोरी
रामनाथ		रामनाथ
केलन		केलन
मन्दु उडु		मन्दु उडु
ममलान		ममलान
मन्दु		मन्दु
जुनीति पर्व		जुनीति
वर्षा शकसे		वर्षा
किर्ती हजार		किर्ती
आवनी		आवनी
गवली		गवली
शुलवग		शुलवग
पार्वती		पार्वती
मिता		मिता
अलम		अलम
मुन्ना		मुन्ना
मानसिक		मानसिक
अश्वनी		अश्वनी
दिलिप		दिलिप
विनोद		विनोद
प्रकाश		प्रकाश
कुलशान		कुलशान
नवव		नवव